कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर

KVK/AJM/2019/193 **दिनांकः 16.08.19**

खुली निविदा सूचना

प्रतिष्ठित/पंजीकृत सवेंदकों को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर पर एक वर्ष में निम्न कार्यों हेतु दर संविदा के लिए खुली निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है।

क.सं.	**कार्य विवरण**	**अनुमानित लागत (रु)**	**धरोहर राशि (रु)**	**निविदा राशि (रु)**
1.	**विभिन्न प्रशिक्षणों, बैठक, इत्यादि के लिए चाय, नाश्ता एवं भोजन व्यवस्था**	4.0 लाख	8000	500

विस्तृत निविदा सूचना, निविदा की प्रमुख शर्तें व अन्य विवरण वेबसाईट राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपायन पोर्टल www.sppp.rajasthan.gov.in या विभागिय वेबसाईट www.sknau.ac.in पर देखा जा सकता है।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

प्रतिलिपिः–

1. वित्त नियन्त्रक, एस.के.एन.ए.यू., जोबनेर को भेजकर लेख है कि कृपया नियत तिथि को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करें।
2. प्रभारी, सिमका, एस.के.एन.ए.यू., जोबनेर को भेजकर लेख है कि निविदा सूचना को राजस्थान लोक उपायन पोर्टल एवं विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. समस्त नोटिस बोर्ड।
4. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष

कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर

संस्था पर भोजन व्यवस्था हेतु दर संविदा के लिए टेण्डर (खुली निविदा)

निविदा प्रपत्र की कीमत	:–	रू. 500/–
निविदा की अनुमानित लागत	:–	रू. 4,00,000/–
निविदा संदर्भ	:–	भोजन व्यवस्था हेतु टेण्डर
धरोहर (Bid Security) राशि	:–	2% (रू. 8000/–)
परिशिष्ट संख्या एक (वित्तिय निविदा प्रपत्र)	:–	दर विवरण
परिशिष्ट संख्या दो (तकनीकी निविदा प्रपत्र)	:–	निविदा की शर्ते
निविदा बेचने की तिथि एवं समय	:–	17.08.19 से (प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक)
भरी हुई निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय	:–	26.08.19 (प्रातः 11.00 बजे तक)
निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:–	26.08.19 (प्रातः 11:30 बजे)
निविदा खोलने का स्थान	:–	कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर
पत्राचार हेतु पता	:–	वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र, तबीजी फार्म, अजमेर

नोटः धरोहर राशि केवल बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार की जायेगी।

धरोहर राशि दिनांक 26.08.19 प्रातः 11.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी।

धरोहर राशि रू. .... बैंकर चैक/ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक ....के द्वारा

जमा कराई दी गई है।

परिशिष्ट संख्या–1

वित्तिय निविदा हेतु

दर प्रपत्र

1. निविदादाता/फर्म का नाम एवं पता मय टेलीफोन नं.

2. प्रस्तुत दरें।

क्र.सं.	आईटम विवरण	दर
1.	चाय	.... प्रति चाय
2.	नाश्ता	
(i)	(पौष्टिक व रूचिकर यथा परांठा / पोहा / कोफता/ कचौरी/ समोसा, इत्यादिं)	.... प्रति व्यक्ति/एक समय
(ii)	नाश्ता (पौष्टिक व रूचिकर यथा आलू परांठा व दही / पोहा + कोफता/ पोहा + कचौरी/ पोहा + समोसा, इत्यादिं)	.... प्रति व्यक्ति/एक समय
3.	भोजन मेन्यू (भरपेट)	
(i)	एक सब्जी (मौसमी), दाल, चपाती, सलाद	.... प्रति व्यक्ति/एक समय
(ii)	एक सब्जी, दाल, चावल, चपाती, सलाद व मिठाई 50 ग्राम	.... प्रति व्यक्ति/एक समय
(iii)	दो सब्जी (एक सब्जी पनीर), दाल, रायता, पापड़, चपाती, वेज पुलाव, सलाद व मिठाई 50 ग्राम देशीघी की/आईसक्रीम	.... प्रति व्यक्ति/एक समय
4.	भोजन पैकिट – एक सूखी सब्जी, पूड़ी (कम से कम 10), अचार, मिर्च तली हुई एवं एक लड्डू मय डिब्बा एवं फॉईल पैकिंग	.... प्रति पैकिट

दिनांक–

हस्ताक्षर
(ठेकेदार मय नाम व पूरा पता)

हस्ताक्षर
(वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष)

परिशिष्ट संख्या–2

तकनीकी निविदा प्रपत्र

भोजन एवं अल्पाहार व्यवस्थार्थ दर संविदा हेतु निविदा शर्ते

1. यह दर संविदा अनुबंध पत्र निष्पादित करने से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य है।
2. तकनीकी निविदा हेतु सीलबंद लिफाफे में निम्नांकित संलग्नक (स्व–हस्ताक्षरित) आवश्यक रूप से रखे जावें। इसके अभाव में निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

i. धरोहर राशि (**Bid Security**) का बैंकर्स चैक/डीडी।

ii. निविदादाता/फर्म का चिकित्सा एवं स्वस्थ्य विभाग से पंजीकरण संख्या एवं प्रमाण पत्र की फोटो प्रति।

iii. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर की प्रति।

iv. निविदा शर्त प्रपत्र पर हस्ताक्षर एवं मोहर सहित

v. पैन कार्ड की छाया प्रति।

vi. मुख्य लिफाफे में तकनीकी निविदा एवं वित्तिय निविदा (हस्ताक्षरित) दो अलग–अलग लिफाफों में रखी जानी चाहिए।

vii. तकनीकी निविदा में सफल होने पर ही वित्तिय निविदा खोली जायेगी।

3. अनुमोदित निविदादाता को कार्यादेश जारी किये जाने से पूर्व निविदा स्वीकृति के सात दिवस में रू. 500/– नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित कराना होगा व 3 प्रतिशत अमानत राशि जमा करवानी होगी।
4. अनुबंध अवधि के दौरान समय–समय पर होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठक इत्यादि में आदेशानुसार उपस्थित प्रशिक्षणार्थियों/व्यक्तियों हेतु भोजन, अल्पाहार एवं चाय की व्यवस्था की जानी है। जिसकी सूचना समय–समय पर दी जाती रहेगी।
5. भोजन में शुद्ध एवं अच्छी किस्म की सामग्री (एगमार्का) का प्रयोग करना होगा तथा तेल मूंगफली (डबल रिफाईन्ड) का प्रयोग करना होगा।
6. सब्जी ऋतु के अनुसार अलग–अलग प्रकार की देनी होगी।
7. भोजन तैयार करने एवं वितरण में साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
8. भोजन की व्यवस्था तथा तैयार भोजन की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
9. भोजन/चाय तैयार करने हेतु समस्त सामग्री व श्रम शक्ति निविददाता की होगी।
10. भोजन व्यवस्था/केटरिंग हेतु बर्तन इत्यादि निविदादाता को स्वयं लाने होगें। जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
11. आयोजित होने वाले प्रशिक्षण/कार्यक्रम के दिन भोजन व्यवस्था हेतु सामान एवं सामग्री आयोजन दिवस को प्रातः लाकर प्रशिक्षण/कार्यक्रम के पश्चात शेष सामान एवं सामग्री को फर्म/ठेकेदार द्वारा वापस साथ ले जाना होगा। इन्हे भण्डारित करने हेतु पृथक रुप से विभाग द्वारा आवास/कक्ष उपलब्ध नहीं करवाया जायेगा।
12. भोजन वितरण कार्य स्वयं फर्म/ठेकेदार द्वारा ही करवाना होगा।
13. उक्त वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्य नहीं करने पर ठेकेदार को तत्सम्बन्धित होने वाले भुगतान में से शास्ति के रूप में कटौतियाँ की जा सकेगी। इस सम्बंध में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, अजमेर का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

14. निविदादाता के कार्य करने में असफल होने पर उसकी रिस्क एण्ड कोस्ट पर अन्य से कार्य करवाने पर इसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जावेगी तथा विलम्ब से कार्य करने पर शास्ति की कटौती GF & AR, TTPPA 2012 एंव RTPPR 2013 के प्रावधान अनुसार किया जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी ठेकेदार/फर्म की रहेगी।

15. दर्शित कार्य आपको निर्देशानुसार पूर्ण कराने है असफलता की स्थिति में आपकी जमा सुरक्षा राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा यह कार्य आपकी रिस्क व कोस्ट पर अन्य माध्यम से करा लिया जायेगा। अधिक भुगतान होने की स्थिति में यह राशि आपसे वसूलनीय होगी।

16. भोजन की गुणवत्ता के स्तर में गिरावट अथवा मीनू अनुसार सप्लाई नहीं होने की निरन्तर शिकायत प्राप्त होने की दशा में धरोहर व अमानत राशि जब्त कर निविदा निरस्त करने का अधिकार संस्था प्रधान का होगा।

17. उपायन व पारदर्शिता नियमों के अधीन समयावधि वृद्धि सम्भंव हो सकेगी।

18. सक्ष्म अधिकारी द्वारा जारी फूड (Food) वैध लाईसेन्स की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

19. कार्य का विभाजन नहीं किया जायेगा। अलग–अलग कार्यों के लिए पृथक–पृथक निविदादाता/फर्म की न्यूनतम दर प्राप्त होने पर न्यूनतम दर का निर्धारण/आंकलन प्राप्त दरों के औसत के आधार से किया जायेगा।

20. GST हेतु सम्बंधित विभाग में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न की जाये।

21. ठेकेदार/फर्म द्वारा नियोजित श्रमिकों को ई.एस.आई एवं पी.एफ वर्कमेन कम्पनसेशन एक्ट प्रावधान एवं अन्य टैक्स यथा GST आदि देय होने पर समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। ई.एस.आई.एवं पी.एफ निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय–समय पर रिकार्ड जांच हेतु प्रस्तुत करना होगा। आकस्मिक दुर्घटना की दशा/ लापरवाही से कार्य करने या कराने की स्थिति में सभी जिम्मेदारियां ठेकेदार /श्रमिक की होगी।

22. आयकर कटौती मान्य दरों से संस्था प्रधान द्वारा ठेकेदार/फर्म के बिलों के भुगतान में से काट ली जावेगी।

23. किसी भी विवाद के निपटारे हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केन्द्र एकल आर्बटिट्रर होगे व उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। कानूनी विवाद के लिए न्यायक्षेत्र अजमेर होगा।

मैं .... उक्त शर्तों के अधीन रहते हुए भोजन व चाय की व्यवस्था हेतु अपनी दरें प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिसके लिए में पूर्ण बाध्य रहूँगा। इस हेतु में सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता ऐजेन्सी
नाम व पता ....
....
दूरभाष ....

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष
के.वी.के., अजमेर